

प्रेषक,

संजय आर भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उत्तर प्रदेश। | 2- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि
लखनऊ। |
| 3- निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना
किसान संस्थान, बटलर रोड,
लखनऊ। | 4- निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
शाहजहाँपुर। |
| 5- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि.,
लखनऊ। | |

चीनी उद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

विषय:- विद्युत सम्बन्धी संरक्षात्मक उपाय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा प्रदेश में संचालित सहकारी चीनी मिलों में मेन पैनल बोर्ड एवं डी.बी. पर उचित अर्थिंग न होने, आस-पास नमी होने, पेस्ट कन्ट्रोल की व्यवस्था न होने तथा केबिल की ज्वाइंट ठीक न होने के कारण होने वाले फाल्ट से बचाव एवं विद्युत सम्बन्धी संरक्षात्मक उपाय करने हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं:-

1. अर्थिंग:

- मिल परिसर में पूर्व में स्थापित अर्थिंग सिस्टम का भौतिक निरीक्षण करें।
- अर्थ पिट को लोकेट करें, सफाई आदि के पश्चात् उसका कनेक्शन इक्युपमेंट से जुड़ा है अथवा नहीं।
- अर्थ पिट का अर्थिंग टेस्टर के माध्यम से रजिस्टेन्स चेक करें कि वह 0.5 ओहम से 5 ओहम के मध्य है अथवा नहीं।
- विद्युत उपकरण जैसे मोटर, पैनल, डी.बी. पर IS 3043 के अनुसार अर्थिंग सिस्टम स्थापित होना चाहिए। (IS 3043 सॉफ्ट कॉपी के रूप में गूगल ड्राइव पर अपलोड करा दी गयी है।)
- IS 3043 के अनुसार कैमिकल इलेक्ट्रोड अर्थिंग का उपयोग किया जाना ज्यादा लाभप्रद है।



● **अर्थिंग की आवश्यकता:-**

- लाइन वोल्टेज को स्थिर रखना।
- इलेक्ट्रिकल उपकरणों को सुरक्षित रखना।
- मानवीय सुरक्षा।

इलेक्ट्रिकल टर्मिनल कनेक्शन:

- किसी भी मोटर, डी.बी., पैनल में टर्मिनल कनेक्शन को टाईट रखे, ताकि स्पार्किंग एवं शार्ट सर्किट से बचा जा सके।
- मिल क्लीनिंग अथवा लम्बी मिल बन्दी होने पर बड़ी मोटरे जैसे लेवलर, चौपर, फाइब्राइजर, मिल ड्राइव आदि के कनेक्शन इत्यादि को शट-डाउन लेकर चेक करें।

2. पैनल डी.बी. व अन्य उपकरणों में पेस्ट कंट्रोल:

- मेन पैनल के सभी कम्पार्टमेंट तथा टॉप बंद होने चाहिए, जिससे चूहे, सर्प, छिपकली, बंदर आदि से सुरक्षा हो सके।
- डी.बी. व पैनल के अन्दर एवं आस-पास बैगास जमा न होने दें।
- प्रत्येक मिल बंदी में शट-डाउन लेने के उपरान्त एअर ब्लोअर आदि से आई. डी. व एफ.डी. फैन इत्यादि की मोटर पर ब्वायलर की जमा हुई राख की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

3. मेन पैनल एवं डी.बी. के आस-पास नमी से सुरक्षा:

- मेन पैनल एवं डी.बी. से लगी दीवारों पर नमी नहीं होनी चाहिए।
- डी.बी. के पास से गुजर रही स्टीम/पानी की लाइनें लीकप्रूफ रखी जायें।
- डी.बी. के पास पानी न जमा होने दिया जाये।
- समय-समय पर पैनल बोर्ड एवं समस्त डी.बी. की नमी को हॉट एअर ब्लोवर से दूर करते रहें।
- पेराई सत्र के दौरान नियमित अन्तराल पर एयर ब्लोवर द्वारा डी0बी0 से बगासिलो पार्टिकल्स को हटाते रहें।

प्रेविंटेव मेन्टेनेन्स:

- टेम्परेचर गन से विभिन्न प्रकार की बड़ी मोटरों का तापमान शिफ्टवार इलेक्ट्रीशियन द्वारा रजिस्टर में नोट किया जाये। तापमान मानक से अधिक होने पर शिफ्ट इंजीनियर को तत्काल सूचित कर सम्बन्धित उपकरण की सुरक्षा की व्यवस्था करें।
- मेन पैनल में लगे एम्पियर मीटर को चेक करते रहे कि तीनों फेज़ में लोड बराबर रहे। बड़ी मोटरों के टर्मिनल पर क्लैम्प एम्पीयर मीटर से लोड चेक करते रहे जिससे मोटर को जलने से बचाया जा सके।
- प्रत्येक शिफ्ट में बड़ी मोटरें जैसे चौपर, लेवलर, फाइब्राइजर, मिल ड्राइव, ब्वायलर, अल्टरनेटर व डी.जी. सेट, की सतह पर पड़ी बैगास की सफाई का विशेष ध्यान रखे।



- मिल बंदी होने पर बड़ी मोटरों का शट-डाउन लेकर उनके कूलिंग फैन, फैन कवर को एअर ब्लोअर आदि से साफ करें।
 - पैनल/स्टार्टर में विद्युत उपकरण सुरक्षा यंत्र रिले, एम.सी.सी.बी., फ्यूज आदि को मानक के अनुसार उपयोग करें। किसी भी दशा में इसे बाई-पास न करें। स्टार्टर में Arc Fault Detection Device (AFDD) का उपयोग करें, जिससे किसी भी अपरिहार्य स्थिति में Arcing Fault होने पर विद्युत उपकरण को बचाया जा सके।
 - मिल में लगी मोटरों पर फैन कवर लगा होना आवश्यक है जिससे किसी दुर्घटना से बचा जा सके। मोटरों के ऊपर गार्ड लगाकर रखें जिससे उसके अन्दर पानी अथवा नमी न प्रवेश करें।
 - स्टैंडबाई मोटर/पम्प का नियमित/शिफ्टवार उपयोग करते रहें जिससे लगी मेन मोटर/पम्प की मेन्टेनेन्स की जा सके।
 - समस्त विद्युत कर्मकार सेफ्टी शूज़, ग्लब्ज, सेफ्टी बेल्ट व स्टैंडर्ड टूल्स का प्रयोग करें।
 - ओपेन केबल ट्रेंच को हमेशा साफ करते रहे।
 - ट्रेंच में पड़ी केबल के ज्वाइंट का निरीक्षण कर इन्सुलेशन का ध्यान रखें। टेम्परेचर गन से उसका तापमान की जाँच करते रहें।
 - केबल ट्रेंच में मानक के अनुसार ही केबल डालें व उसको रेत/बालू से ढक कर रखें।
 - अप्रयुक्त केबल को ट्रेंच से हटा दें।
 - टर्मिनल कनेक्शन के मध्य इन्सुलेशन का ध्यान रखें।
 - पैनल, स्टार्टर में इन्सुलेशन हेतु Insulating and protective coating antisieze spray मार्केट में प्रचलित हैं अतः उनका उपयोग करें।
2. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा जारी किये गए उपर्युक्त दिशा निर्देशों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी-अपनी संस्थाओं के सभी प्रतिष्ठानों में विद्युत सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

